D. No. – 2045/25
19/09/25

// सूचना पत्र //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर– चांपा (छ०ग०) के जिला स्थापना में रिक्त पदों सहायक ग्रेड – 03 के कुल रिक्त पद 20 एवं कोर्ट मैनेजर अमला हेतु लिपिक क्लर्क (संविदा) के कुल 01 पद हेतु कौशल परीक्षा उपरांत, कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन उपरांत उक्त पदों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश उनके वर्तमान पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया है, यदि किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति आदेश की प्रति प्राप्त नहीं होने की दशा में चयनित अभ्यार्थी कार्यालयीन दिवस पर कार्यालयीन समय में अपना नियुक्ति आदेश कार्यालय से प्राप्त कर सकते है ।

//सहायक ग्रेड– 03 हेतु//

नियुक्ति की शर्तें:–

1– परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक और आगे बढ़ाई जा सकती है और जब तक स्थायी न कर दिया जाये परिवीक्षा पर माना जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि में कार्य, आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना कारण बताये सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

2– चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि का कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि के समाप्ति पश्चात से नियमित वेतनवृद्धि छ0ग0 शासन के वित्त निर्देश 33/2023 के अनुसार देय होगा।

3– चयनित उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करें अयोग्य पाने जाने पर तत्काल सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

4– यदि चयनित उम्मीदवार शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो एक माह पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना दी जावेगी या एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

5– चयनित उम्मीदवार इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकेंगे।

6– चयनित उम्मीदवार इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

7– किसी भी प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

8– कार्यभार ग्रहण करते समय सेवा पुस्तिका 02 नग एवं जी0पी0एफ0 पासबुक 01 नग सहित समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की 05 सेट में सत्यापित प्रतियां सहित अवलोकनार्थ मूल प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

09– यह नियुक्ति उम्मीदवार के चरित्र एवं पूर्व वित्तांत सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। पदभार ग्रहण करने के उपरांत चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र (अनुप्रमाणक फार्म) में पूर्ति कर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया

जावेगा। चरित्र सत्यापन कराये जाने पर किसी अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।

10– अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को छोड़कर, शेष अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवार उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान से अपना जाति प्रमाण पत्र 03 माह के भीतर सत्यापन कराकर, सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

11– चयनित उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण–पत्र के असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख का होगा।

12– चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति आदेश के अनुसार होगी। न कि उनकी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से होगी।

13– चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उनकी सेवाओं की आगे आवश्यकता इस कार्यालय को नहीं होने पर कभी भी बिना किसी कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

14– चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति इस न्यायिक जिला स्थापना हेतु किये जाने से उनकी पदस्थापना जांजगीर मुख्यालय सहित बाह्य न्यायालय (यथा– पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा, चांपा, सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर, डभरा) में भी आवश्यकतानुसार की जा सकेंगी।

15– चयनित उम्मीदवारो को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 कार्य दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जा सकेगी, इस हेतु उन्हें पुनः सूचित नहीं किया जावेगा।

//कोर्ट मैनेजर अमला हेतु लिपिक क्लर्क (संविदा)//

<u>नियुक्ति की शर्तें:–</u>

1– चयनित उम्मीदवार आवश्यक रूप से अपनी शैक्षणिक योग्यता की तीन प्रति स्वयं अभिप्रमाणित कर साथ में लावे।

2– चयनित उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करें अयोग्य पाने जाने पर तत्काल सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

3– यदि चयनित उम्मीदवार शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो एक माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते कार्यालय में जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना दी जावेगी या एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

4– किसी भी प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

5– यह नियुक्ति उम्मीदवार के चरित्र एवं पूर्व वित्तांत सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। पदभार ग्रहण करने के उपरांत चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र (अनुप्रमाणक

फार्म) में पूर्ति कर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। चरित्र सत्यापन कराये जाने पर किसी अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।

6– चयनित उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण–पत्र के असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख का होगा।

7– चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उनकी सेवाओं की आगे आवश्यकता इस कार्यालय को नहीं होने पर कभी भी बिना किसी कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

8– चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 कार्य दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जा सकेगी, इस हेतु उन्हें पुनः सूचित नहीं किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)